



वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,

पता—चक्रता रोड़ सुद्धौवाला, पो० ओ० चन्दनवाड़ी, देहरादून, दूरभाष— ०१३५—२७७०१२४,

वेबसाइट www.uktech.ac.in

पत्रांक: ३९५ स्थापना / २०२०

दिनांक १४/०८/२०२०

सेवा में,

समर्त सम्मानित सदस्यगण
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

विषय: उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की नवंम बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय / महोदया,


उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की नवंम बैठक दिनांक 28 जुलाई 2020 में लिये गये निर्णय (विनिश्चय) की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीया,

hina
(प्रो० अनिता रावत)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय

देहरादून



‘विद्या परिषद’ की नवंम बैठक दिनांक 28 जुलाई
2020 (मंगलवार) का कार्यवृत्त
(कार्य सूची (Agenda Points) एवं विनिश्चय)

दिनांक 28.07.2020 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "विद्या परिषद्" की नवम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 28 जुलाई, 2020 को मा० कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के नवीन परिसर में विश्वविद्यालय की नवम बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित मा० सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित विशेषज्ञ उपस्थित थे:—

(क) कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय— अध्यक्ष।

(ग) विश्वविद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्यपरिषद् के सदस्य न हो:

- 1) Prof. V.M. Mishra, Director, BTKit, Dwarahat (Online)
- 2) Prof. Suresh Kumar, Director, Tula's Institute, Dehradun
- 3) Prof. S.P. Gupta, Director General, COER, Roorkee (Online)
- 4) Prof. Sharafat Ali, Principal, Siddharth Law College, Dehradun
- 5) Prof. Shivanand Patil, Director, SDBIT, D.dun

निदेशक, आई०आई०टी०, रुड़की द्वारा नामित एक विभागाध्यक्ष :—

Prof. S.K. Ghosh, HOD, Civil Engg. Deptt. IIT, Roorkee (Online)

आमंत्रित विशेषज्ञ :

- 1) Dr. Nishant Saxena, Dean Academics, Tula's Institute, Dehradun
- 2) Dr. Sandeep Vijay, Director, Shivalik College of Engg., Dehradun
- 3) Dr. Yashpal Singh Negi
- 4) Dr. Amtish S. Vidyarthi (Online)

विशेष आमंत्रित :

- 1) Dr. R.P.S. Gangwar, Controller of Exams, UTU, Dehradun.
- 2) Mrs. Kavita Nabiyal, Finance Controller, UTU, Dehradun.

कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून— पदेन सचिव।

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व मा० कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नामित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। मा० कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक गतिविधियों इत्यादि पर संक्षेप में बताया गया तथा पूर्व में आने वाली समस्याओं, उनके निदान एवं भविष्य की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त मा० सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु सं :-01

(क) विद्या परिषद की अष्टम बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन/निर्णय/सुझाव (संलग्नक-01)।

(ख) विद्या परिषद की दिनांक 21-07-2018 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

अष्टम बैठक में लिये गये निर्णय	कृत कार्यवाही
<u>बिंदु संख्या:- 02</u> विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु तैयार किया गया एकेडमिक कैलेंडर विद्या परिषद के मात्र सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ। विनिश्चयः— बैठक में विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर शैक्षिक सत्र 2018-19 के एकेडमिक कैलेंडर हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की गई।
<u>बिंदु संख्या:- 03</u> विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रमों के Syllabus में AICTE के Modle Curriculum के अनुसार BOS की बैठक आयोजित की गयी उक्त बैठक में विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के Syllabus में AICTE के Modle Curriculum के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु संशोधन (Revision) किया गया है। संशोधित Syllabus वर्तमान शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों यथा एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी० एच० एम० सी०टी०, बी०फार्मा०, एम०फार्मा०, एल०एल०बी० तथा एम०टेक० पाठ्यक्रमों के Syllabus में परिवर्तन किये गये हैं। मात्र समिति के अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	ए०आई०सी०टी०ई० के न्यू मॉडल पाठ्यक्रम (New Modle Curriculum) को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू किया गया।
विनिश्चयः— बैठक में विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर ए०आई०सी०टी०ई० के न्यू मॉडल पाठ्यक्रम (New Modle Curriculum) को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>बिंदु संख्या:- 04</u> विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न Specializations में संचालित किये जा रहे पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधार हेतु यू०जी०सी० के मानकानुसार पी०एच०डी० अर्डिनेंश संशोधित किये जाने संबंध में मात्र कुलपति द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपनी द्वितीय बैठक दिनांक 26-02-2018 को बैठक आयोजित कर पी०एच०डी० अर्डिनेंश 2018 में संशोधन किया गया। मात्र समिति के अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।
विनिश्चयः— परिषद के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर भारतीय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पी०एच०डी० अर्डिनेंस संशोधित किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।	

बिंदु संख्या:- 05

विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोधार्थियों के अधिकतम शोध कार्यवाधि के समाप्त होने के उपरांत शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।

विनिश्चयः— परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर सम्बन्धित बिंदु को Special Case के रूप में रखते हुए शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में मेरिट के आधार पर Case to Case निर्णय दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यह व्यवस्था मात्र बैठक में रखे गये पी0एच0डी0 शोधार्थियों के प्रकरणों पर ही लागू होगी।

बिंदु संख्या:- 06

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में Ph.D डिग्री पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को मूल Ph.D डिग्री प्रदान किये जाने हेतु सूची संलग्न की गयी है। उक्त पर चर्चा एवं अनुमोदन।

कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।

विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिंदु पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिंदु संख्या:- 07

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध विधि संस्थानों में संचालित विधि पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु दिनांक 08 मार्च 2018 को एक बैठक आहूत की गयी। समिति द्वारा विधि पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किया गया। विद्या परिषद के मात्र सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।

विनिश्चयः— विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिंदु पर विस्तृत चर्चा कर राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पॉलसी जारी होने तक विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में निर्धारित शुल्क को लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।


कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।

बिंदु संख्या:- 08


विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम0आई0टी0इ0 कुमाऊ नैनीताल संस्थान में संचालित किये जाने हेतु B.VOC,03 Years(Automobile Manufacturing Technology) का नवीन पाठ्यक्रम Syllabus अनुमोदन किये जाने के संबंध में। उक्त विषय के सन्दर्भ में मात्र सदस्यों में चार्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः— शैक्षिक परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर B.VOC के नवीन पाठ्यक्रम हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि:-


1. सम्बन्धित कोर्स की सम्बद्धता हेतु ए0आई0सी0टी0इ0 के मानकों अनुसार पैनल गठित किया जायेगा।
2. सम्बन्धित कोर्स संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0इ0 द्वारा निर्धारित मानक पूरे किये जायेंगे।



<p><u>बिंदु संख्या:- 09</u></p> <p>उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृतिपय व्यवसायिक संस्थानों में संचालित BBA –HM 03 वर्षीय पाठ्यक्रम की अवधि को 04 वर्षीय किये जाने हेतु मात्र समिति के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ।</p> <p>विनिश्चयः— परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर BHMCT-BHM पाठ्यक्रम की अवधि 04 वर्षीय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p><u>बिंदु संख्या:- 10</u></p> <p>उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाहन संख्या—UK-07N-3707 को निष्प्रयोज्य किये जाने पर पूर्व कुलपति जी द्वारा उक्त वाहन को यूटी०यू० के यू०जी०/पी०जी० छात्रों के लिए Practical demo के उपयोगार्थ रखा जाना उचित होगा। उक्त सन्दर्भ में मात्र सदस्यों में चर्चा एवं अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिंदु पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p><u>बिंदु संख्या:- 11</u></p> <p>उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में दिनांक 27–03–2017 को पाँच सदस्यीय समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जारी उपाधि के संबंध में चर्चा की गयी उक्त सन्दर्भ में समिति द्वारा उपाधि पर प्रार्थी का आधार न0 एवं फोटो को अनिवार्य किया जाए तथा उपाधि में हिन्दी विवरण पहले व अंग्रेजी विवरण बाद में रखा जाए। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों एवं उनके Specializations के नामों की सूची को हिन्दी व अंग्रेजी में अंतिम रूप दिया जाए। उक्त सन्दर्भ में मात्र सदस्यों में चर्चा एवं अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा भारत मूल के छात्रों की उपाधियों में आधार संख्या व फोटों को मुद्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>
<p><u>बिंदु संख्या:- 12</u></p> <p>विश्वविद्यालय में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में तत्कालीन मात्र कुलपति महोदय द्वारा निर्गत पत्र में पुर्णमूल्यांकन संबंधी व्यवस्था की गयी थी। उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय में यथावत्/परिवर्तन करने पर चर्चा एवं अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिंदु पर विस्तृत चर्चा कर एक सेमेस्टर (स्नातक/स्नातकोत्तर) में मात्र दो पेपरों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्णमूल्यांकन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p><u>बिंदु संख्या:- 13</u></p> <p>विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में Cyber Security से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा जिन संस्थानों में CS/IT/MCA पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उन्हीं संस्थानों में Cyber Security से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को खुले विकल्प (Open</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>



<p>Elective) के रूप में शामिल किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>बिंदु संख्या:- 14 विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0, एम0टैक0 एवं एफ0फार्मा0 की Thesis आदि गुणवत्ता की जॉच के लिए World Class Anti Plagiarism Software Turnitin (a commercial, <u>Internet-based plagiarism-detection service which checks submitted documents against its database and the content of other websites with the aim of identifying plagiarism. Results can identify similarities with existing sources, and can also be used in formative assessment to help students learn to avoid plagiarism and improve their writing)</u> के सम्बन्ध में तथा नई व्यवस्था लागू होने तक कार्योत्तर अनुमोदन।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर World Class Anti Plagiarism Software Turnitin को नई व्यवस्था लागू होने तक उपयोग में लाये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>बिंदु संख्या:-15 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों की बी0ओ0जी0 से सम्बन्धित प्रकरणों पर चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों की बी0ओ0जी0 के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर बी0ओ0जी0 को केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP-III) तक ही सीमित रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>
<p>बिंदु संख्या:-16 Examination reforms के तहत आगामी सत्र से UMS (University Management Software) लागू किये जाने पर चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा Examination reforms के तहत परीक्षाओं से पूर्व व परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षा कार्यों को सम्पादित करने वाली कंपनियों से मैनपॉवर की सेवायें लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा Examination reforms के तहत परीक्षाओं से पूर्व व परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षा कार्यों को सम्पादित करने वाली कंपनियों से मैनपॉवर की सेवायें लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>
<p>बिंदु संख्या:-17 विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2016-17 से आयोजित की जा रही ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु कार्योत्तर अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>बिंदु संख्या:-18</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>



<p>राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार (National Academic Depository) के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार (<u>National Academic Depository</u>) द्वारा प्रदत्त सेवाओं को उपयोग में लाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>बिंदु संख्या:-19</p> <p>Tuition fee waiver scheme/ BPL कार्ड धारक परिवारों के छात्रों को पुर्णमूल्यांकन हेतु ₹0 5000/- की छुट दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।</p>	<p>लागू किया गया है कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p>विनिश्चयः— बैठक में शैक्षिक परिषद् के सदस्यों द्वारा Tuition Fee Waiver Scheme/BPL कार्ड धारक परिवारों के छात्रों से उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्णमूल्यांकन शुल्क के रूप में ₹0 1000/- तथा अन्य छात्रों से ₹0 3000/- अप्रतिदेय (Non Refundable) शुल्क लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	
<p>बिंदु संख्या:-20</p> <p>विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में प्रति Transcript Set (4 Mark Sheet) ₹0 100/- लिया जा रहा है, जिसमें वृद्धि कर प्रति Transcript Set (4 Mark Sheet) ₹0 500 शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>लागू किया गया है कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p>बिंदु संख्या:-21</p> <p>विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा फार्म को विश्वविद्यालय में जमा किये जाने में विलम्ब की दशा में 7 दिवस की छुट प्रदान करते हुये विलम्ब शुल्क ₹0 100/- प्रतिदिन (प्रति छात्र) लिये जाने हेतु चर्चा/अनुमोदन।</p> <p>विनिश्चयः— बैठक में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>	<p>लागू किया गया है कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।</p>
<p>बिंदु संख्या:-22</p> <p>विश्वविद्यालय के परीक्षा व्ययों/मूल्यांकन व्ययों/बैठकों के मानदेय/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/क्रीड़ा संचालन व्ययों/प्रवेश परीक्षा व्ययों आदि के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दरें।</p>	<p>कार्यवाही आपेक्षित है।</p>

विनिश्चय: 9.01 (क)–(i) बिन्दु 8.04: (प्रो० ए०ए० स० विद्यार्थी एवं प्रो० यशपाल नेगी द्वारा अवगत कराया गया है की) पी०ए०डी० ॉर्डिनेन्स 2018 यह ए०आ०सी०टी०ई०/य०जी०सी० नॉर्मस अनुसार नहीं है अतः इसे Unconfirmed माना जाए। पी०ए०डी० ॉर्डिनेन्स Revised form में इस बैठक में बिन्दु 9.09 में लाया गया है।

(ii) बिन्दु 8.22: वित्तीय मामले होने से वित्त समिति में रखे जाये।

अन्य बिन्दुओं पर टिप्पणी/सुझाव न प्राप्त होने से Confirmed माने जाएः

(ख)– कृत कार्यवाही में:

- (i) बिन्दु 8.13 (Page 5): Cyber security यह पेपर (Course) अध्ययनमंडल द्वारा शामिल किया गया है।
- (ii) बिन्दु 8.16 (Page 6): अष्टम विद्यापरिषद् का (पृष्ठ 15) सुझाव “सम्बन्धित सॉफ्टवेयर (UMS) कार्यप्रणाली अध्ययन किये जाए” अनुसार इस नवम विद्यापरिषद् के बिन्दु 9.06 में लाया जाएगा।

बिन्दु संख्या:-09- 02

विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश हेतु:

(क)

य०के०ए०स०ई०ई०/जे०ई०ई० मेन्स परीक्षा अनुसरण करते हुए प्रत्येक वर्ष माह जून-जुलाई में आयोजित की जाती थी किन्तु कोविड- 19 वैश्विक महामारी के कारण उक्त परीक्षा आयोजित करना सम्भव नहीं होगा। कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबन्धों, सोशियल डिस्टेंशनिंग इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय विनियमावली की धारा 5.02-2(ठ) के अनुक्रम में वर्ष 2020-21 में छात्र-छात्राओं का प्रवेश अर्हक अंक मेरिट लिस्ट (इण्टरमीडिएट 10+2 Diploma) के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव चर्चा एवं अनुमोदनार्थ।

(ख) Post Graduate (PG) में प्रवेश GATE परीक्षा मेरिट एंव Qualifying परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश दिये जाने पर चर्चा एंव अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.02 (क)– ‘वर्ष 2020-21 प्रवेश हेतु Eligible Qualification (जैसे की 12th, या डिप्लोमा) के Relevant विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाया जाए” यह (सदय स्थिति दृष्टिगत विद्या परिषद् द्वारा) अनुमोदन किया गया।

यह विद्यापरिषद् का निर्णय प्रवेश हेतु Counselling Board को Communicate किया जाए।

(ख)– एम०टैक० प्रवेश हेतु कार्यवाही पूर्वानुसार (वर्ष 2019-20) की जायेगी।

एम०बी०ए० प्रवेश हेतु कोविड-19 सदय स्थिति दृष्टिगत Qualifying Degree में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाने का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या:-09- 03

आगामी परीक्षाओं हेतु प्राप्त सुझावों के आधार पर चर्चा एवं निर्णय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त D.O. NO. F.1-1/2020 (Secy) दिनांक 06 जुलाई, 2020 के अनुसार एवं ए0के0टी0यू० लखनऊ द्वारा निर्गत आदेशानुसार (संलग्नक-02)।

विनिश्चय: 9.03 — परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु सुझाव देने के लिए निम्न समिति गठित की गयी:

- (1) प्रो० बी०एम० मिश्रा, बी०टी०के०आई०टी० द्वाराहाट।
- (2) प्रो० अमित अग्रवाल, ए०पी०जे०ए०के०आई०टी०, टनकपुर।
- (3) प्रो० संदीप विजय, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून।

यह समिति परीक्षा नियंत्रक को समयबद्ध रूप से एक सप्ताह में निम्न बिन्दुओं पर सुझाव देगी:

- (1) Passing out Batches की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु।
- (2) Intermediate Years के छात्रों को UGC (दिनांक 29/04/2020, पृष्ठ 5,6 एवं अध्यतन Revised Guidelines) सुझावानुसार पिछले सेमेस्टर के Performance एवं इस सेमेस्टर के In semester performance आधार पर नये सत्र के Online Classes में शामिल होने की परमिशन हेतु।

यह समिति द्वारा प्राप्त सुझाव त्वरित कार्यान्वयन के लिए परीक्षा नियंत्रक को (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या:-09— 04

विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2020–21 के अकादमिक कलेंडर एवं परीक्षा आयोजन पर चर्चा एवं निर्णय (संलग्नक-03)।

विनिश्चय: 9.04 — सलंगनक 3 में शामिल अकादमिक Calendar Tentative है।

परीक्षा नियंत्रक इस Calendar में शासन द्वारा निर्गत आदेशों परिस्थिति दृष्टिगत उचित बदलाव करने हेतु (कुलपति महोदय अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत।

बिन्दु संख्या:-09— 05

(A) विभिन्न बी०ओ०एस० द्वारा अनुमोदित Revised Scheme of Exams (संलग्नक-04) एवं Syllabii पर चर्चा एवं अनुमोदन।


(B) बी०एच०एम०सी०टी० पाठ्यक्रम में Internship 4th सेमेस्टर एवं 5th सेमेस्टर में करने हेतु सम्बन्धित बी०ओ०एस० द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय: 9.05 (A) — सलंगनक 4 में दर्शाए गये विभिन्न पाठ्यक्रमों की Schemes अनुमोदित।

B.Tech. Computer Science and Engineering शाखा के Specializations B.Tech. Information Technology शाखा को भी लागू होंगे।

सभी (आठ) Specializations अन्य शाखाओं के छात्रों को भी छात्र पात्रता (जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय के Guidelines अनुसार संरथान निदेशक द्वारा अनुमोदन पर विश्वविद्यालय करेगा) के अधार पर Minor के रूप में ले सकते हैं। सम्बन्धित Guidelines बनाये जाने हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:

- (1) प्रो० जी०एस० तोमर, निदेशक, बी०आई०ए०एस०, भीमताल।
- (2) डॉ० निशांत सक्सेना, डीन एकेडेमिक, तुलांज इन्स्टीट्यूट, देहरादून।


Dr. Nishant Sakseena
Dr. Tomar
Dr. Amit Agarwal

(3) डॉ ब्रजमोहन सिंह, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की।

यह समिति एक सप्ताह में Guideline तैयार कर परीक्षा विभाग को पेश करेगी। परीक्षा नियंत्रक (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) इन Guidelines को लागू करने हेतु अधिकृत।

(B) – बी0एच0एस0सी0टी0 पाठ्यक्रम में Internship 4th Semester अथवा 5th Semester में करने हेतु Chairman, BOS, HMCT के अनुमोदन को विद्यापरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी।

बिन्दु संख्या:-09— 06

विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 की ऑनलाईन कक्षाओं हेतु तथा विद्या परिषद् की 8.16 एवं कोविड-19 सध्यस्थिति दृष्टिगत चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.06 – विश्वविद्यालय की ऑनलाईन कक्षाएं बिन्दु 9.03 के आधार पर Online कक्षाओं में शामिल होने के लिए पात्र छात्रों के लिए 04 अगस्त, 2020 से विभिन्न संस्थान अपने स्तर पर शुरू करने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित।

विद्यापरिषद् बिन्दु 8.16 अनुसार University Management Software (UMS) और इसके साथ कोविड-19 सदय स्थिति दृष्टिगत Integrated Learning Management Software (LMS) लागू करना उचित है। Online Platform विश्वविद्यालयों के सभी संस्थानों को समायोजित करते हुए Common (सिंगल) Online Platform (UMS एवं LMS Integrated) नियोजित करना उचित होगा। इस तरीके के Platform पर कुछ निदेशकों ने कई वेण्डर्स के प्रोजेक्ट्स पर द्रायल लिये हुए हैं।

अतः निम्न समिति किसी एक प्लेटफार्म समयबद्ध तरीके से निश्चित कर उस प्लेटफार्म को द्रायल हेतु संस्थानों को Online Classes की शुरुआत के पहले उपलब्ध कराने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा गठित की जाती है:

- (1) प्रो० ए०एस० विद्यार्थी, निदेशक, एस०आई०टी०, पिथौरागढ़।
- (2) प्रो० यशपाल सिंह नेंगी, निदेशक, एस०आई०एच०एस०टी०, नई टिहरी।
- (3) प्रो० आर०पी०एस० गंगवार, निदेशक, महिला प्रौ० संस्थान, देहरादून।
- (4) प्रो० संदीप विजय, निदेशक शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजी०, देहरादून।
- (5) प्रो० जी०एस० तोमर, निदेशक, बी०आई०ए०एस०, भीमताल, नैनीताल।

बिन्दु संख्या:-09— 07

संस्थाओं के शिक्षक एवं निदेशक पदों की चयन समिति पर विशेषज्ञों को नामित करने हेतु चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.07 – AICTE Gazette Notification No. 82 दिनांक 01 मार्च, 2019 के अनुसार सम्बद्ध एवं स्वायत्त संस्थानों में विभिन्न चयन समितियों की Constitution दी हुई है। कुलपति द्वारा इन चयन समितियों हेतु विषय विशेषज्ञ नामित करने होते हैं।

गुणवत्ता बनायें रखने हेतु कुलपति द्वारा Subject Experts का नामांकन UGC category -1 University/ Institutes &/or NIRF ranking में 1 से 100 तक की Universities/Institutes के कार्यरत /स्टायर्ड Professors/Associate Professors इनमें से नामित करने का विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु संख्या:-09— 08

वर्ष 2018–19 व 2019–20 उपाधि पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को मूल पी0एच0डी0 उपाधि प्रदान किये जाने हेतु सूची पर चर्चा एंव अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.08 — निरस्त माना जाए क्यों की वह 9.12 में पुनः लाया गया है।

बिन्दु संख्या:-09— 09

पी0एच0डी0 अध्यादेश 2020 (संलग्नक-05): यूजी0सी0 Guideline अनुसार संशोधित अध्यादेश (पी0एच0डी0 अध्यादेश 2020) पर चर्चा एंव निर्णय।

विनिश्चय: 9.09 — पी0एच0डी0 अध्यादेश ड्राफ्ट पेज-01 बिन्दु 1.1 निम्नानुसार पढ़ा जाए:

1.1 Candidates for admission to the Ph.D. programme shall have relevant Master's degree in Engineering/Technology for programmes in Engineering/Technology, MCA for Computer Applications, M.Pharma for Pharmacy, M.H.M. for Hospitality Management, MBA for Management, and LLM for Law with minimum of 60% of marks at Master's degree from duly recognized UGC University, a deemed to be University, or any other University within India, or any equivalent from abroad.

ड्राफ्ट पेज-1 बिन्दु 1.3 पैरा 3 अंतिम पार्ट पढ़ा जाए की:

Engineering/Technology/Pharmacy/Management/Law shall be decided by the interview board constituted according to the ordinance.

ड्राफ्ट में कतिपय Minor Ammendments किये जाने हैं, जैसे कि:—

- (i) Page 5, 4.1.1 UTU-UG&PG
- (ii) पेज-06 प्रथम लाइन पढ़ी जाए की "(Mentioned at- 4.1.2)"
- (iii) पेज-08 Item 7.5 Table के लास्ट लाइन में प्रथम भाग पढ़ा जाए की "Total Credits/Marks"

विद्यापरिषद् ऐसे कतिपय Minor Ammendments/Typos अध्यादेश में करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करती है।

उपरोक्त के साथ डॉ० ए०ए० विद्यार्थी, डॉ० यशपाल नेगी, डॉ० संदीप विजय, डॉ० जी०ए०स० तोमर एंव अन्य सदस्यों के चर्चा उपरान्त पी0एच0डी0 अध्यादेश-2020 अनुमोदित।

बिन्दु संख्या:-09— 10

विश्वविद्यालय के शोध उपाधि अध्यादेशोनुसार कुछ छात्रों के शोध प्रबंध विदेश में भेजे जाने आवश्यक हैं कुछ और शोध प्रबंध गुणवत्ता निर्धारण हेतु विदेश में भेजे जाना विधि तय करता है। विदेश के शोध प्रबंध परिक्षकों का मानदेय अमरीकन डालर 500 (पाँच सौ) दिया जाना उचित है यह मानदेय एंव विदेश में शोध प्रबंध भेजे जाने हेतु आवश्यक कुरियर का व्यय संबंधित शोध छात्र द्वारा वहन किये जाने हेतु चर्चा एंव निर्णय।

विनिश्चय: 9.10 — चर्चा उपरान्त अनुमोदित एंव कार्यान्वयन हेतु वित्तसमिति भेजा जाए।

बिन्दु संख्या:-09— 11

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की वर्ष 2018 तक के छात्रों की उपाधि/डिग्री देना प्रस्तावित है।

विनिश्चय: 9.11 — प्रस्ताव स्वीकृत। परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसंचिव वर्ष 2019 तक Passed out छात्रों की पदवी प्रदान करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बिन्दु संख्या:-09— 12

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018, 2019 व 2020 अतिथि तक प्रदान की गयी शोध उपाधियों का अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तावित (संलग्नक-06)।

विनिश्चय: 9.12 — अनुमोदित।

बिन्दु संख्या:-09— 13

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पी0एच0डी0 कोर्स हेतु आयोजित रिसर्च मैथोडॉलॉजी की कक्षाओं में प्रतिभागी शोधार्थियों हेतु दिनांक 23-02-2020 को आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम के अनुमोदनार्थ(संलग्नक-07)

विनिश्चय: 9.13— अनुमोदित।

बिन्दु संख्या:-09— 14

(A) विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0 कोर्सवर्क की अनुपूरकता हेतु समय—समय पर आयोजित State of Art Seminar में प्रदत्त प्रस्तुतिकरण अंको के अनुमोदनार्थ। (संलग्नक-08)

(B) यू0जी0सी0 नियमानुसार पी0एच0डी0 शोध छात्रों के रिसर्च मैथोडॉलॉजी के कोर्स के ऑफ लाईन मोड में आवश्यक है कुछ छात्रों ने यह रिसर्च मैथोडॉलॉजी के कोर्स के (ऑफ लाईन मोड में)नहीं किया है एवं पी0एच0डी0 डिग्री हेतु यह अवश्यक है। कोविड-19 सध्यरिति दृष्टिगत (एवं एम0एच0आर0डी0गाईड लाईनअनुसार) कक्षाएं संस्थानों/विश्वविद्यालय में कक्षा गृह में नहीं लगायी जा सकती अतः केवल आगामी सत्र के लिए यह रिसर्च मैथोडॉलॉजी कोर्स आन लाईन कक्षाएं एवं ऑन लाईन मूल्यांकन कराये जाने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.14 (A) — अनुमोदित।

(B) — चर्चा उपरान्त 2020-21 के लिए अनुमोदित।

बिन्दु संख्या:-09— 15 पी0एच0डी0 छात्रों के प्रवेश हेतु:

यू०जी०सी० द्वारा निर्गत नियम व शर्तों के अनुरूप एवं नवीनतम पी०एच०डी० अध्यादेश 2020 के अनुसार ही विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० प्रवेश हेतु चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.15— पी०एच०डी० छात्र प्रवेश हेतु प्रथम संस्थानों द्वारा किसी विषय में किस Guide के पास कितनी Vacancies हैं यह संकलन करने के बाद प्रवेश हेतु पी०एच०डी० अध्यादेश—2020 अनुसार कार्यान्वयन किये जाने के विद्यापरिषद् द्वारा निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या:-09— 16

विश्वविद्यालय में करायी जा रही विभिन्न विषयों में पी०एच०डी० हेतु सीटों का निर्धारण किये जाने के संबंध में चर्चा।

विनिश्चय: 9.16 —विनिश्चय 9.15 में प्राप्त Data अनुसार पी०एच०डी० प्रवेश हेतु विषयवार छात्र संख्या निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या:-09— 17 विद्या परिषद की अनुमति हेतु एम०टेक० छात्रों के प्रकरण:

(अ) एम०टेक० विभाग द्वारा 03 छात्रों के एम.टेक. फाइनल थिसिस जमा होना रुके हुए है। एम.टेक अर्डिनेश बिन्दु 4.2 द्वारा ऐसे छात्रों को अधिकतम 4 वर्ष की समयावधि हेतु विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित है। पिछली विद्या परिषद् 2018 में हुई थी तथा कोविड-19 सध्यरिथ्ति दृष्टिगत इसे अधिकतम 4 वर्ष के समयावधि समाप्ति बाद 1—अशीष चौधरी 2—जगमोहन प्रसाद 3—सुदर्शन सिंह राणा के एम.टेक. फाइनल थिसिस जमा कराये जाने हेतु अनुमोदनार्थ।

(ब) M.Tech CSE छात्रा लातिका चौधरी ने वर्ष 2016 में प्रवेश लिया था एवं प्रथम 02 सेमेस्टर पूर्ण कर लिए हैं तृतीय सेमेस्टर स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण नहीं कर पायी इस छात्र को अब तृतीय (एवं चतुर्थ) सेमेस्टर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.17 (A) —परिस्थितयों दृष्टिगत एवं छात्रहित दृष्टिगत अधिकतम तीन माह का समय इन छात्रों को थीसिस जमा करने हेतु देने की अनुमति विद्यापरिषद् द्वारा प्रदान की गयी। इसको आगे के लिए एवं अन्य प्रकरणों के लिए नियम नहीं माना जाए।

(B) —छात्रा (सुश्री लतिका चौधरी) को M.Tech. 3rd एवं 4th Semester के Classes में समावेश हेतु (as a special medical case) अनुमोदित। छात्रा को एक वर्ष के अन्दर एम०टैक० थीसिस Submit करना जरूरी है। इसको आगे के लिए एवं अन्य प्रकरणों के लिए नियम नहीं माना जाए।

बिन्दु संख्या:-09— 18

विश्वविद्यालय में संचालित एम०फार्मा० कोर्स में SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्रों के प्रवेश/शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि SC, ST एवं OBC वर्ग के छात्र निम्न आय से प्रवेश लेते हैं तथा यह छात्र शिक्षण शुल्क जमा करने में असमर्थ रहते हैं। छात्रवृत्रि शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद प्राप्त होती है जिस कारण छात्र शुल्क जमा नहीं कर पाते हैं। विश्वविद्यालय में शुल्क की मांग सेमेस्टर के अनुसार किया जाता है उक्त कारण से एम०फार्मा० में छात्र प्रवेश नहीं लेता जिससे सीटें रिक्त रह जाती हैं। छात्रों के प्रवेश/शिक्षण शुल्क के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारण हेतु चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.18— कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय शासन द्वारा दिशा/निर्देश प्राप्त करे।

बिन्दु संख्या:-09— 19

पी०एच०डी० उपाधि हेतु Final Viva-voce परीक्षा ऑनलाईन मोड में कराने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.19 — चर्चा उपरान्त Ph.D Final viva voce exam एवं P.G. thesis final viva voce exam online कराने हेतु यू०जी०सी० 29/04/2020 बिन्दु 12 (Page 7) के अनुसार अनुमोदित।

बिन्दु संख्या:-09— 20

- (A) सदय स्थिति में LLB/BALLB/BBALLB छात्रों की Bar Council of India के निर्देशों अनुसार परीक्षा लेने एवं परीक्षाफल घोषित करने हेतु डॉ० शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा उठायें गये मुद्दों पर चर्चा एवं अनुमोदन।
- (B) सदय स्थिति में फार्मसी छात्रों की Pharmacy Council of India के निर्देशानुसार परीक्षा लेने एवं परीक्षाफल घोषित करने हेतु डॉ० शिवानन्द पाटिल, निदेशक, एस०डी०बी०आई०टी०, देहरादून द्वारा उठायें गये मुद्दों पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.20 — विनिश्चय 9.03 में समाविष्ट। डॉ० शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज एवं डॉ० शिवानन्द पाटिल, निदेशक, एस०डी०बी०आई०टी०, देहरादून बिन्दु 9.03 के विनिश्चय में तय कमेटी को समयबद्ध तरीके से सुझाव दें।

बिन्दु संख्या:-09— 21

प्रो० शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा प्राप्त सुझावनुसार LLB/BALLB/BBALLB पाठ्यक्रम में Consumer Protection ACT- 1986 अब Consumer Protection ACT- 2020 पढ़ा जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय: 9.21 — चर्चापरान्त अनुमोदित। डॉ० शराफत अली यह बदलाव पाठ्यक्रम में करके Revised Syllabus विश्वविद्यालय को एक सप्ताह में Submit करे। परीक्षा नियंत्रक तदनुसार Revised Syllabus वर्ष 2020-21 को लागू करने हेतु (कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त) अधिकृत।

बिन्दु संख्या:-09- 22

प्रो० शराफत अली, प्राचार्य, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून द्वारा प्राप्त सुझावनुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में विधि (लॉ) शोध उपाधि (Ph.D) पाठ्यक्रम हेतु छात्रों को प्रवेश देने हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय: 9.22 -

कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय शासन द्वारा दिशा/निर्देश प्राप्त करें।

अन्य बिन्दु माठ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या:-09- 23

राज्य होटल मैनेजमेन्ट संस्थान, नई टिहरी द्वारा एम०एच०एम० पाठ्यक्रम 30 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 से शुरुआत करने हेतु।

विनिश्चय: 9.23 -

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पूर्तता होने पर एम०एच०एम० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

✓ 17/6/2021 Page 15 of 15
From Prof. Dr. Shyam Singh
✓ Dr. S. K. Chauhan
✓ Dr. A. K. Chauhan
✓ Dr. A. K. Chauhan